दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.06.2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 (श्रीमती) शैलजा सिंह	सदस्य
3.	डॉ0 अवधेश सिंह	सदस्य
4.	प्रो0 ईश्वर शरण विश्वकर्मा	सदस्य
5.	प्रो0 राम प्रकाश	सदस्य
6.	प्रो0 गोपाल प्रसाद	सदस्य
7.	प्रो0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
8.	प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित	सदस्य
9.	डॉ0 (श्रीमती) सुभी धूसिया	सदस्य
10.	श्री धर्मेन्द्र नाथ वर्मा	सदस्य
11.	डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा	सदस्य
12.	डॉ0 स्वयं प्रकाश लाल	सदस्य
13.	प्रो0 एच0पी0 तिवारी	सदस्य
14.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
15.	श्री पी0एन0 सिंह, लेखाधिकारी	कार्यवाहक वित्त अधिकारी
16.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित
17.	श्री शत्रोहन वैश्य, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया तथा सभी माननीय सदस्यों का परिचय लिया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो0 यू0पी0सिंह, मु0 राजेन्द्रनगर, पूर्वी, निकट–चिरकुटवा बाबा स्थान, गोरखनाथ, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 मानेन्द्र प्रताप सिंह, प्राचार्य, श्यानेश्वर डिग्री कालेज, सिकरीगंज, गोरखपुर एवं श्री धर्मेन्द्र नाथ वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, बेतियाहाता, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की–

बिन्दु संख्या	बिन्दु
1.	कार्य परिषद् ने यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत समाजशास्त्र विषय में स्तर तीन से चार (एजीपी 8000–9000) एवं स्तर चार से पाँच (एजीपी 9000–10000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 24.06.2017 को सम्पन्न चयन समिति की संस्तुतियों पर विचार किया। इस प्रकरण पर विचार करते समय कार्यपरिषद् सदस्या डॉ0 (श्रीमती) सुभी धुसिया सदन से उठकर बाहर चली गयीं, क्योंकि वह चयन समिति में एक अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित हुई थीं। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने समाजशास्त्र विषय में चरण चार से चरण पाँच हेतु ए0जी0पी0 रू0 9000 से 10000 में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में की गयी संस्तुति को स्वीकार करते हुए–

	– कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह एवं डॉ0 शफीक अहमद, सहयुक्त आचार्य, (स्टेज चार) ए0जी0पी0 रू0 9,000/– समाजशास्त्र विभाग को आचार्य, (स्टेज पाँच) पे बैण्ड 37,400– 67,000 एवं ए0जी0पी0 रू0 10,000/– में अर्हता तिथि क्रमशः दिनांक 12.10.2014 एवं दिनांक 21.12.2015 से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया। – कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 सुभी धूसिया एवं डॉ0 अंजू, सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) ए0जी0पी0 रू0 8,000/– समाजशास्त्र विभाग को सहयुक्त आचार्य, (स्टेज चार) पे बैण्ड रू0 37,400– 67,000 एवं ए0जी0पी0 रू0 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
2.	कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13.06.2017 की संस्तुतियों एवं रेट (RET) परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13.06.2017 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए रेट (RET) परीक्षा अगस्त, 2017 में आयोजित करने का सुझाव दिया। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन अभ्यर्थियों का पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में पंजीकरण की कार्यवाही चल रही है, उनकी सूची सम्बन्धित अधिष्ठाता से दिनांक 03.07.2017 तक प्रत्येक स्थिति में मांग ली जाय तथा उन्हें यह भी सूचित कर दिया जाय कि ऐसे अभ्यर्थियों का पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में पंजीकरण दिनांक 16.08.2017 तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कर लिया जाय।
3.	कार्य परिषद् ने विभिन्न सत्रों में जिन अभ्यर्थियों द्वारा किसी कारणवश राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार की विशेष परीक्षा नहीं दी गयी/असफल अभ्यर्थियों के स्नातक स्तर पर होने वाले राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार की विशेष परिस्थिति में परीक्षा कराने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ''राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' प्रश्नपत्र में छूटे हुए/अनुत्तीर्ण उन समस्त छात्र/छात्राओं को पुनः एक और अवसर 'मर्सी इग्जाम' के रूप में देने का निर्णय लिया, ताकि छात्र ''राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' प्रश्नपत्र क्लीयर न करने के कारण स्नातक की उपाधि से वंचित न हों।
4.	कार्यपरिषद् ने शासनादेश संख्या 124/सत्तर–1–2017–16(114)/2010 टी0सी0 दिनांक 08 अप्रैल, 2017 जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के संशोधित विनियमों को लागू किये जाने सम्बन्धी है, पर विचार किया। कार्य परिषद ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए निर्णय लिया कि उपर्युक्त को परिनियमावली में यथास्थान समाहित कर लिया जाय।
5.	कार्य परिषद् ने मा0 कुलाधिपति की प्रमुख सचिव के पत्र संख्या ई–3048/7–जी0एस0/2017–1 दिनांक 28.04.2017 जो विश्वविद्यालय के डॉ0 आर0डी0 पाण्डेय, शिक्षाशास्त्र विभाग की प्रोन्नति हेतु सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति का लिफाफा खोले जाने की अनमुति के सम्बन्ध में है, पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने डॉ0 आर0डी0 पाण्डेय, सहायक आचार्य,

	शिक्षाशास्त्र विभाग की प्रोन्नति हेतु सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 28.06.2016 की संस्तुति का लिफाफा खोले जाने सम्बन्धी मा0 कुलाधिपति की प्रमुख सचिव के पत्र संख्या ई–3048/7–जी0एस0/2017–1 दिनांक 28.04.2017 द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने से अवगत होते हुए, स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 28.06.2016 की संस्तुति को स्वीकार किया एवं डॉ0 आर0डी0 पाण्डेय को उनकी अर्हता की तिथि से सहायक आचार्य चरण–2 एवं एजीपी रू0 7000/– दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
6.	कार्य परिषद् ने प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.06.2017 की संस्तुतियों से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् ने प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.06.2017 की संस्तुतियों से अवगत होते हुए बी0एस–सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) की प्रवेश परीक्षा एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में एम0एड0 (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश की अनुमति प्रदान की।
7.	अध्यक्ष की अनुमति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.06.2017 के अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु संख्या– 1 द्वारा लिये गये निर्णय– "परीक्षा समिति ने निर्णय लिया है ऐसे महाविद्यालयों से अर्थदण्ड के रूप में रू0 5000–00 प्रति छात्र की दर से विश्वविद्यालय में जमा कराकर परीक्षाफार्म की प्रक्रिया पूर्ण कराकर निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराकर विभिन्न कक्षाओं की परीक्षा हेतु बिना आनलाइन फार्म भरने वाले परीक्षा में सम्मिलित छात्रों का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय। साथ ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को इस आशय की चेतावनी पत्र भी निर्गत किया जाय कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति उनके द्वारा न हो", पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि सम्बन्धित छात्रों का नियमानुसार परीक्षा फार्म (मैनुअल) भराकर एवं अन्य कार्यवाही पूर्णकर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय। छात्रों पर कोई अर्थदण्ड न लगाया जाय तथा प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को चेतावनी दी जाय कि यदि इसकी पुनरावृत्ति की जाती है तो महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा इस आशय की सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।

प्रो0 एस0के0 दीक्षित, सदस्य– कार्यपरिषद् द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

01/07/17
कुलसचिव
सचिव

01/07/17
कुलपति
अध्यक्ष